IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

कोविड-19 महामारी के बाद आत्मनिर्भर भारत योजना का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में प्रभाव: नीति एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण

गीता माली *(शोधार्थी)*

डॉ. अंजली तिवारी *(शोध निर्देशक)*

एसोसिएट प्रोफेसर,

मानविकी उदार कला संकाय, अर्थशास्त्र विभाग

रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, रायसेन

शोध सार

(कोविड-19 महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की संरचना को गहराई से प्रभावित किया और भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (Micro, Small & Medium Enterprises) क्षेत्र पर इसका गहरा असर पड़ा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम भारत की GDP में लगभग 30% और कुल रोजगार में 45% का योगदान देता है। महामारी के दौरान लॉकडाउन, आपूर्ति-शृंखला अवरोध तथा मांग में गिरावट के कारण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाइयाँ गंभीर संकट में आ गईं। इस संकट से निपटने हेतु भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत योजना (Aatmanirbhar Bharat Abhiyan) के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा की, जिसमें वित्तीय, नीतिगत और प्रौद्योगिकी उपाय शामिल थे। यह शोधपत्र कोविड-19 के पश्चात सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत योजना के प्रभावों का नीति एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करता है। शोध में पाया गया कि यद्यपि नीतिगत सहायता ने पुनरुद्धार को गति दी, किन्तु सूचनात्मक जागरूकता, बैंकिंग पहुँच, डिजिटलीकरण की गति और श्रमिक-प्रवाह जैसी व्यवहारिक चुनौतियाँ अब भी विद्यमान हैं।)

कुंजी शब्द - कोविड-19, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, आत्मनिर्भर भारत योजना, वित्तीय राहत, नीति-निर्माण, डिजिटलीकरण, आपूर्ति-शृंखला, रोजगार सृजन, व्यवहारिक चुनौतियाँ, आर्थिक पुनरुद्धार, नवाचार, सतत विकास।

1. प्रस्तावना

कोविड-19 महामारी ने वैश्विक आर्थिक तंत्र को एक गहन और अप्रत्याशित संकट की ओर धकेल दिया, जिसके प्रभाव से भारत भी अछूता नहीं रहा। भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ—सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र—इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित हुआ। यह क्षेत्र, जो लगभग 6.3 करोड़ इकाइयों के माध्यम से देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 30 प्रतिशत का योगदान देता है और 11 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है, महामारी के दौरान उत्पादन, विपणन, और वितरण प्रणाली में गहरी व्यवधानों का सामना कर रहा था। इस असाधारण परिस्थिति में भारतीय सरकार ने *"आत्मनिर्भर भारत अभियान"* की घोषणा की, जिसका उद्देश्य न केवल आर्थिक पुनरुद्धार सुनिश्चित करना था, बल्कि दीर्घकालिक औद्योगिक आत्मनिर्भरता एवं तकनीकी स्वावलंबन की दिशा में एक स्थायी रूपरेखा तैयार करना भी था।

नीति-निर्माण की दृष्टि से आत्मनिर्भर भारत योजना ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए एक नई विकासात्मक दिशा प्रदान की है। मई 2020 में घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को विशेष महत्व दिया गया, जिससे यह क्षेत्र महामारी के आर्थिक झटके से उबर सके। इस योजना के तहत *'Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS)'* के माध्यम से लाखों उद्यमों को कार्यशील पूंजी, ऋण गारंटी और ब्याज दर में रियायतें प्राप्त हुईं। इसके अतिरिक्त, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की परिभाषा को पुनर्परिभाषित कर निवेश एवं वार्षिक टर्नओवर आधारित मानकों को विस्तृत किया गया, जिससे अधिक उद्यम इस दायरे में सम्मिलित होकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।

व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य से आत्मनिर्भर भारत योजना का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र पर प्रभाव बहुआयामी और संरचनात्मक रूप से परिवर्तनकारी सिद्ध हुआ है। इस योजना ने उद्यमिता संवर्धन, उत्पादकता वृद्धि, तथा प्रौद्योगिकीय उन्नयन के माध्यम से उद्योगों को महामारी-उत्तर आर्थिक पुनर्जीवन की दिशा में अग्रसर किया। यद्यपि वित्तीय सहायता और नीति-समर्थन के परिणामस्वरूप सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में पुनरुत्थान की प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से देखी गई, तथापि व्यवहारिक स्तर पर अनेक चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं। इनमें डिजिटल अवसंरचना की असमान पहुँच, ऋण वितरण में क्षेत्रीय असंतुलन, तथा निर्यात प्रतिस्पर्धा की सीमाएँ प्रमुख हैं। ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में उद्यमों की स्थिरता अब भी वित्तीय सुदृढ़ता और तकनीकी नवाचार पर निर्भर है। इसके बावजूद, आत्मनिर्भर भारत योजना ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार, सहयोग, और डिजिटलीकरण की नई संस्कृति को जन्म दिया है।

2. कोविड-19 महामारी के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पर प्रभाव

कोविड-19 महामारी के दौरान लागू हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की उत्पादन और परिचालन गतिविधियों को अभूतपूर्व रूप से प्रभावित किया। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, इस अवधि में लगभग 80% सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाइयाँ अपनी उत्पादन क्षमता का अधिकांश भाग खो बैठीं। भारतीय सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020 (FY20) में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन (GVA) 30.5% था, जो 2021 (FY21) में घटकर मात्र 26.8% रह गया। यह गिरावट इस बात का द्योतक है कि महामारी ने इस क्षेत्र की उत्पादन-संरचना को गंभीर रूप से कमजोर किया। साथ ही, सूक्ष्म,

लघु और मध्यम उद्यम इकाइयों की सक्रियता में भी उल्लेखनीय कमी आई—FY19 में जहाँ 100% इकाइयाँ सक्रिय थीं, वहीं FY21 में यह घटकर 78% पर पहुँच गई। इस दौरान रोजगार में लगभग 25% तक गिरावट दर्ज की गई। वित्तीय वर्ष 2022 (FY22) में स्थिति में कुछ सुधार अवश्य देखा गया और GVA 28.3% तक पहुँचा, परंतु यह पूर्व-कोविड स्तर से अब भी नीचे रहा।

तालिका 1: कोविड-19 के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की आर्थिक स्थिति

वर्ष	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम का GVA (%)	रोजगार में गिरावट (%)	इकाइयों का प्रतिशत
FY19	30.4	0	100
FY20	30.5	5	95
FY21	26.8	25	78
FY22	28.3	15	85

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र भारतीय रोजगार संरचना का एक प्रमुख स्तंभ है, जो लगभग 11 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। कोविड-19 महामारी के दौरान लागू लॉकडाउन और औद्योगिक गतिविधियों के ठहराव ने इस क्षेत्र में रोजगार की स्थिति को गंभीर संकट में डाल दिया। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, इस अवधि में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में लगभग 25% तक रोजगार में गिरावट आई, जिससे करोड़ों श्रमिकों की आजीविका प्रभावित हुई। विशेष रूप से, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी और अनुबंध आधारित श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित हुए। उत्पादन ठप होने के कारण उद्यमी वेतन-अदायगी करने में असमर्थ रहे, जिससे श्रम-स्थायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

कोविड-19 महामारी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की बाज़ार संरचना और आपूर्ति-शृंखला प्रणाली को गंभीर रूप से बाधित किया। वैश्विक और घरेलू स्तर पर आपूर्ति शृंखला के टूटने से निर्यात तथा आंतरिक वितरण दोनों ही प्रभावित हुए, जिससे उत्पादन और बिक्री गतिविधियाँ ठहर सी गईं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाइयाँ बड़े औद्योगिक ग्राहकों और निर्यातकों पर अत्यधिक निर्भर थीं, किंतु महामारी के दौरान जब बड़े उद्योग भी बंद हो गए या सीमित क्षमता से कार्य करने लगे, तो उनके आदेशों की रद्दीकरण और भुगतान में देरी से लघु उद्योगों की तरलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। परिवहन साधनों की कमी, सीमाओं पर नियंत्रण, और कच्चे माल की उपलब्धता में रुकावट ने लागत संरचना को बढ़ा दिया।

3. आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए नीतिगत उपाय

1. **वित्तीय सहायता उपाय -** कोविड-19 महामारी के पश्चात भारत सरकार द्वारा घोषित *आत्मनिर्भर भारत योजना* (मई 2020) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के वित्तीय पुनरुत्थान हेतु एक ऐतिहासिक कदम सिद्ध हुई। इस योजना के अंतर्गत ₹3 लाख करोड़ का *कोलेटरल-फ्री ऑटोमैटिक लोन* पैकेज घोषित किया गया, जिसका उद्देश्य संकटग्रस्त उद्योगों को त्वरित नकदी सहायता प्रदान करना था ताकि वे अपनी उत्पादन गतिविधियों को पुनः आरंभ कर सकें। इस योजना के अंतर्गत पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाइयों को बिना किसी अतिरिक्त जमानत के चार वर्ष की अवधि हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई, जिससे उनकी तरलता स्थिति में सुधार हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹20,000 करोड़ का *सबऑर्डिनेट डेब्ट पैकेज* उन इकाइयों के लिए लाया गया जो वित्तीय रूप से तनावग्रस्त थीं, ताकि वे अपनी पूंजी संरचना को सुदृढ़ कर सकें। साथ ही, ₹50,000 करोड़ का *इक्विटी इंफ्यूजन फंड* सूक्ष्म,

लघु और मध्यम उद्यम के विस्तार एवं तकनीकी आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लागू किया गया।

2. **नीतिगत एवं प्रशासनिक सुधार -** आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की नीतिगत रूपरेखा को पुनर्परिभाषित करते हुए अनेक संरचनात्मक सुधार लागू किए, जिनका उद्देश्य पारदर्शिता, दक्षता और समावेशिता को बढ़ाना था। सर्वप्रथम, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की नई परिभाषा घोषित की गई जिसमें निवेश और वार्षिक टर्नओवर की सीमाओं को अद्यतन कर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को एक विस्तृत दायरे में सम्मिलित किया गया। नई परिभाषा के अनुसार, सूक्ष्म इकाइयों के लिए निवेश सीमा ₹1 करोड़ तथा टर्नओवर सीमा ₹5 करोड़, लघु इकाइयों के लिए ₹10 करोड़ और ₹50 करोड़, तथा मध्यम इकाइयों के लिए ₹50 करोड़ और ₹250 करोड़ निर्धारित की गई।

श्रेणी	**निवेश सीमा**	**टर्नओवर सीमा**
सूक्ष्म	₹1 करोड़ तक	₹5 करोड़ तक
लघु	₹10 करोड़ तक	₹50 करोड़ तक
मध्यम	₹50 करोड़ तक	₹250 करोड़ तक

3. **संस्थागत समर्थन -** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की वित्तीय सुदृढ़ता और प्रशासनिक दक्षता को सुनिश्चित करने हेतु आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत विभिन्न संस्थागत स्तरों पर भी ठोस कदम उठाए गए। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (*SIDBI*) और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (*NABARD*) जैसी संस्थाओं को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाइयों के लिए पुनर्वित्त (refinancing) और कार्यशील पूंजी सहायता की जिम्मेदारी सौंपी गई। इन संस्थानों ने संकटग्रस्त उद्यमों को ऋण-पुनर्गठन, ब्याज सब्सिडी, और आपातकालीन क्रेडिट सहायता प्रदान कर उनकी तरलता सुनिश्चित की। संस्थागत समर्थन प्रणाली के इन सुधारों ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पारिस्थितिकी को एक सुदृढ़ संरचनात्मक आधार प्रदान किया, जिससे यह क्षेत्र न केवल महामारी से उबर सका, बल्कि भविष्य के आर्थिक संकटों से निपटने की क्षमता भी अर्जित कर सका।

4. व्यवहारिक दृष्टिकोण-वाले अनुभव एवं चुनौतियाँ

आत्मनिर्भर भारत योजना के क्रियान्वयन के दौरान एक प्रमुख चुनौती *नीति-जागरूकता की कमी* के रूप में सामने आई। अनेक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों को योजना की पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप वे सरकारी सहायता और ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने में असमर्थ रहीं। विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में यह समस्या अधिक स्पष्ट रूप से देखी गई, जहाँ डिजिटल साक्षरता का स्तर अपेक्षाकृत निम्न था। ऑनलाइन पंजीकरण, ऋण आवेदन, और दस्तावेज़ अपलोड जैसी प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक तकनीकी ज्ञान और इंटरनेट तक पहुँच सीमित होने के कारण अनेक उद्यम योजना की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए, जिसके कारण उन्हें आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत प्रदत्त ऋण, सबऑर्डिनेट डेब्ट या इक्विटी इंफ्यूजन जैसी योजनाओं तक पहुँच प्राप्त करने में कठिनाई हुई।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने में *बैंकिंग प्रक्रियाओं की जटिलता* एक प्रमुख बाधा सिद्ध हुई। यद्यपि सरकार ने ₹3 लाख करोड़ का *कोलेटरल-फ्री ऑटोमैटिक लोन* पैकेज घोषित किया था, परंतु वास्तविकता में इसकी पहुँच सीमित रही। एक सर्वेक्षण के अनुसार,

केवल 52% पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाइयाँ ही आपातकालीन क्रेडिट सुविधा (ECLGS) का लाभ प्राप्त कर सकीं। शेष इकाइयाँ या तो बैंकिंग प्रक्रिया की जटिलता के कारण वंचित रहीं या फिर उन्हें ऋण स्वीकृति में अत्यधिक विलंब का सामना करना पड़ा। यह स्थिति इस बात की ओर संकेत करती है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए भविष्य में एक सरल, डिजिटल और पारदर्शी बैंकिंग ढाँचे की आवश्यकता है, जो आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित ऋण वितरण सुनिश्चित कर सके।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम में डिजिटलीकरण की कमी से ई-कॉमर्स, ऑनलाइन आपूर्ति और भुगतान प्रणालियों में एकीकरण नहीं हो कोविड-19 महामारी के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के समक्ष सबसे प्रमुख चुनौतियों में से एक *तकनीकी सीमाओं* से संबंधित थी। अधिकांश लघु और मध्यम उद्यमों में डिजिटलीकरण का स्तर अत्यंत निम्न था, जिसके कारण वे ई-कॉमर्स, ऑनलाइन आपूर्ति, और डिजिटल भुगतान प्रणालियों से प्रभावी रूप से नहीं जुड़ सके। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2020 में केवल 20% सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाइयाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रही थीं, जो 2023 तक बढ़कर 70% तक पहुँचीं। यद्यपि यह वृद्धि उल्लेखनीय है, परंतु महामारी के दौरान डिजिटल अवसंरचना और प्रशिक्षण के अभाव ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की प्रतिस्पर्धात्मकता को सीमित कर दिया।

ग्राफ 1: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम डिजिटलीकरण प्रगति (2020–2023)

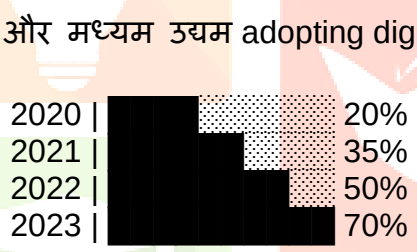

5. पुनरुद्धार और दीर्घ-कालीन लचीलापन की दिशा

कोविड-19 महामारी के पश्चात आत्मनिर्भर भारत योजना के प्रभाव से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में आर्थिक पुनरुद्धार के स्पष्ट संकेत देखने को मिले हैं। वित्तीय वर्ष 2022 (FY22) से इस क्षेत्र में उत्पादन और निर्यात गतिविधियों में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उत्पादन-सूचकांक में लगभग 15% की वृद्धि हुई, जो औद्योगिक स्थिरता और मांग में सुधार का संकेतक है। तालिका 2 के अनुसार, FY21 में जहाँ उत्पादन-सूचकांक 72 अंक पर था, वहीं FY22 में यह बढ़कर 88 और FY23 में 96 तक पहुँच गया, जो पूर्व-कोविड स्तर की पुनर्प्राप्ति का प्रतीक है। निर्यात-उन्मुख इकाइयों की संख्या में भी वृद्धि हुई, जिससे वैश्विक बाजारों में भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उत्पादों की उपस्थिति सुदृढ़ हुई। समग्र रूप से, FY22 से प्रारंभ हुआ यह सुधार आत्मनिर्भर भारत योजना की प्रभावशीलता और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की अनुकूलन क्षमता का स्पष्ट संकेत प्रस्तुत करता है।

आत्मनिर्भर भारत योजना के पश्चात सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में *तकनीकी और डिजिटल नवाचार* ने विकास के नए द्वार खोले हैं। महामारी के दौरान जिन इकाइयों को भौतिक बाजारों में कार्य करने में कठिनाई हुई, उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाना प्रारंभ किया, जिससे उनकी विपणन और आपूर्ति क्षमता में विस्तार हुआ। आज भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तेजी से *ई-मार्केटप्लेस (GeM)*, *Amazon Saheli*, *Flipkart*

Samarth जैसे प्लेटफार्मों से जुड़कर अपने उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ताओं तक पहुँचा रहे हैं। इससे न केवल विपणन पारदर्शिता बढ़ी है, बल्कि छोटे उद्योगों को बड़े ब्रांडों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का अवसर भी मिला है।

आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में *सामाजिक और क्षेत्रीय समावेशन* की दिशा में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। विशेष रूप से महिला और ग्रामीण उद्यमिता के क्षेत्र में नई इकाइयों का उदय हुआ है, जिसने भारत की समावेशी विकास नीति को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया। सरकार द्वारा वित्तीय सहायता योजनाओं, कौशल विकास कार्यक्रमों, और *Stand-Up India* जैसी पहलों के माध्यम से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों की महिलाओं को उद्यमशीलता की दिशा में प्रोत्साहित किया गया। तालिका 2 में प्रदर्शित आंकड़े बताते हैं कि FY21 में उत्पादन-सूचकांक 72 था, जो FY23 में बढ़कर 96 तक पहुँचा, जबकि डिजिटलीकरण का स्तर 35% से 70% तक पहुँचा—यह आँकड़े सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के सामाजिक रूप से व्यापक प्रसार का संकेत देते हैं।

तालिका 2: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पुनरुद्धार सूचकांक (FY21–FY23)

वर्ष	उत्पादन-सूचकांक (2019=100)	निर्यात वृद्धि (%)	डिजिटलीकरण स्तर (%)
FY21	72	-10	35
FY22	88	+8	50
FY23	96	+15	70

6. सुझाव

1. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए एकीकृत "राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सहायता पोर्टल" बनाना चाहिए, जो वित्त, प्रशिक्षण, और बाजार-संलग्नता की सभी सूचनाएँ एक स्थान पर प्रदान करे।
2. बैंकिंग संस्थानों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम-विशेष अधिकारी नियुक्त कर ऋण वितरण की प्रक्रिया सरल करनी चाहिए।
3. राज्यों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्लस्टर-आधारित अनुदान नीति अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
4. डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण एवं "Tech-Enable सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम Mission" जैसे कार्यक्रमों से तकनीकी अपनाने को बढ़ावा दिया जाए।
5. ग्रामीण व अर्ध-शहरी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए मोबाइल-आधारित एप्लिकेशन के माध्यम से आवेदन-सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
6. आपूर्ति-शृंखला में स्थायित्व हेतु स्थानीय उत्पादकों व वितरकों का नेटवर्क विकसित किया जाए।

7. निष्कर्ष

कोविड-19 महामारी के बाद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र का पुनरुद्धार न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था की पुनर्प्राप्ति का प्रतीक है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत योजना की नीतिगत प्रभावशीलता का भी स्पष्ट संकेतक है। महामारी के दौरान जहाँ यह क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हुआ, वहीं सरकारी वित्तीय पैकेज, संरचनात्मक सुधारों और डिजिटल एकीकरण ने इसे पुनः सशक्त बनाया। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत प्रदान किए गए ऋण, इक्विटी इंफ्यूजन, और प्रशासनिक सरलीकरण जैसे उपायों ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के परिचालन को स्थिरता प्रदान की, परंतु नीति-स्तर की घोषणाओं और व्यवहारिक क्रियान्वयन के बीच अभी भी एक उल्लेखनीय अंतर विद्यमान है। कई इकाइयों को नीतियों की पूर्ण जानकारी नहीं मिल सकी, और बैंकिंग प्रक्रियाओं की जटिलता ने योजनाओं की गति को सीमित किया। इसके बावजूद, डिजिटलीकरण, पारदर्शिता, और निगरानी की दिशा में सरकार के प्रयासों ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए एक दीर्घकालिक लचीलापन (resilience) का मार्ग प्रशस्त किया है। यह क्षेत्र अब केवल उत्पादन और रोजगार का स्रोत नहीं रहा, बल्कि यह स्थानीय नवाचार, तकनीकी उद्यमिता, और निर्यात-उन्मुख विकास का प्रमुख आधार बनता जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत योजना ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को "स्थानीय से वैश्विक" बनने की नई दृष्टि प्रदान की है, जिसके माध्यम से भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता और बाजार विविधता दोनों में वृद्धि संभव हुई है।

संदर्भ सूची

1. दुबे, पुष्कर, एवं कैलाश कुमार साहू. "कोविड-19 संकट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) और भारत का आर्थिक राहत पैकेज: एक आलोचनात्मक समीक्षा." *एआईजेआर प्रीप्रिंट्स*, 2020.
2. गुप्ता, पवन कुमार. "भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को प्रोत्साहित करने हेतु सरकारी पहलों का अध्ययन." *मैनेजमेंट जर्नल फॉर एडवांस्ड रिसर्च*, खंड 3, अंक 6, 2023, लेख 5.
3. "भारत का MSME क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत की कुंजी है." *एसएपी न्यूज़*, 25 फ़रवरी 2022.
4. कुमार, रमेश, मोहित बिंदलिश, एवं राजेश गर्ग. "आत्मनिर्भर भारत: उत्तर एवं दक्षिण भारत के उदाहरणों सहित एक विस्तृत अध्ययन." *शोधकोश: जर्नल ऑफ विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स*, खंड 5, अंक 6, जून 2024, पृ. 386–393.
5. कुमारी, नीलम. "भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की वृद्धि एवं चुनौतियों पर एक अध्ययन." *इंटरनेशनल एजुकेशन एंड रिसर्च जर्नल (IERJ)*, खंड 9, अंक 8, अगस्त 2023.
6. मरूति राव, एन. "आत्मनिर्भर भारत अभियान का लघु उद्योगों पर प्रभाव." *जर्नल ऑफ रिसर्च इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट*, खंड 10, अंक 12, 2022, पृ. 45–55.
7. रानी, मंजू, एवं सविता सक्सेना. "भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का योगदान." *जर्नल ऑफ गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी*, खंड 14, विशेषांक, दिसम्बर 2023, पृ. 41–49.
8. शर्मा, पूनम, सुरुचि शर्मा, एवं अरुण शर्मा. "आत्मनिर्भर भारत अभियान: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास के माध्यम से आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम." *जर्नल ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेटिव रिसर्च (JETIR)*, खंड 11, अंक 4, अप्रैल 2024.
9. सिंदूरा भार्गव, निकिता धोलकिया, एवं प्रेमेन्द्र साहू. "भारत के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को उन्नत करने के सरकारी प्रयासों का विश्लेषण." *जर्नल ऑफ इंफॉरमैटिक्स एजुकेशन एंड रिसर्च*, 2024.